न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 78/2016 G.C.M.S. No. 2016/00464 दर्ज दिनांक : 19.09.2016

अपीलार्थिगण:

1. गिलुराम पुत्र लादूराम, उम्र 22 वर्ष
2. लादूराम पुत्र हीराजी, उम्र 57 वर्ष, जातिगण घांची, निवासीगण सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पकाराम पुत्र हीरा, उम्र 64 वर्ष
2. प्रकाश पुत्र लकाराम, उम्र 37 वर्ष
3. लच्छीबाई पत्नि लकाराम, उम्र 62 वर्ष
4. गजरो बाई पत्नि लकाराम, उम्र 62 वर्ष, तमाम जातिगण घांची, निवासीगण सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2014 बअनवान पकाराम बनाम लादूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 12.08.2016</u>

<u>पैरोकार–</u>

1. श्री दीपाराम परमार, श्री रामलाल भाटी, श्री शरद परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 13.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2014 बअनवान पकाराम बनाम लादूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 12.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से लगाकर 05 के विरूद्ध एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौजा सरहद सादडी 1, पटवार हल्का सादडी 1, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान की सीमा क्षेत्र में स्थित सहखातेदारी कृषि भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि उक्त कृषि भूमि वादी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के सहखातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त की आयी हुई विद्यमान है। संवत् 2012 से पूर्व और 2012 से लेकर स्वर्गीय हीरा पुत्र श्री लालाजी का संयुक्त हिन्दू परिवार वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर लगातार काश्त करते हुए लगान अदा करते रहने से संवत् 2012 की गिरदावरी में हीरा पुत्र श्री लालाजी घांची का नाम बतौर कृषक इन्द्राज होने से हाल सेटलमेन्ट पूर्व के नामांतरकरण संख्या 381 के जरिये स्वर्गीय हीरा पुत्र श्री लालाजी का नाम इन्द्राज किया गया, जिसमें हीराजी के संयुक्त परिवार के ज्येष्ठ सदस्य चुनीया पुत्र श्री हीरा का नाम गलत रूपेण इन्द्राज किया गया वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता हीराजी को निहित खातेदारी हक अधिकार की सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में हीरा पुत्र श्री लालाजी के सभी पुत्रों का समान हक अधिकार और कब्जा काश्त निहित है। लेकिन बिना किसी हक अधिकारिता के नामांतरकरण संख्या 381 चुनीया वल्द हीरा का नाम इन्द्राज किया गया है। जो वादी और हीराजी के अन्य पुत्रों लकाराम, लादूराम के हक अधिकारों के विपरीत प्रभाव शून्य और निष्प्रभावी है। चुन्नीलाल पुत्र श्री हीराजी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक अधिकारों को क्रय नहीं किया, बल्कि खातेदार हीरा पुत्र श्री लालाजी का निर्वसीयती स्वर्गवास होने से वादी और प्रतिवादी संख्या 01 एंव चुन्नीलाल, लकाराम को बहिस्सा बराबर खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त निहित हुए हैं, इसी क्रम में चुन्नीलाल पुत्र श्री हीराजी को विरासत से प्राप्त पैतृक खातेदारी हक अधिकारों की वसीयत किये बिना ही अर्थात् चुन्नीलाल पुत्र श्री हीराजी का लाऔलाद निर्वसीयती स्वर्गवास होने से भाई वादी पकाराम और प्रतिवादी संख्या 01 लादूराम, स्वर्गीय लकाराम को बराबर–बराबर हक अधिकार के कब्जा काश्त निहित हुआ। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मामला अत्यन्त ही जटिल प्रवृति का विचाराधीन था। जो न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम किये जाने के बाद पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाये जाने के बाद प्रत्येक तनकी को विस्तृत रूप से विनिश्चित किये जाने के बाद ही फैसला किया जाना था तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को न मानने का अथवा मानने का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए इस बारे में न्यायालय का मत उल्लेखित होना था। परन्तु न्यायालय ने ऐसा नहीं कर सीधे ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। दिनांक 29.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प सादडी में पेश हुई। पेशी पर अपीलान्ट गिलुराम उपस्थित नहीं था। अपीलान्ट संख्या 02 लादूराम वहां उपस्थित था। राजीनामे की बात पर लादूराम से मौखिक में पूछा गया तो लादूराम ने किसी भी प्रकार के राजीनामा किये जाने से इंकार किया तब कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा के यह कहा कि पेशी का बाद में मामूल कर लेगा। बाद में पेशी का मामूल किया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

तो पता चला कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के वाद पत्र अनुसार वाद पत्र का फैसला कर दिया है। जो सरासर गलत तथा आधारहीन होने से अपीलान्ट को स्वीकार ही नहीं हैं। दिनांक 29.06.2016 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से लगाकर 04 के पक्ष में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर पत्रावली दिनांक 08.07.2016 को रखी। दिनांक 08.07.2016 को अपीलान्ट न्यायालय के सक्षम उपस्थित नहीं थें, फिर भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से लगाकर 04 के बीच में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवाड़ें के मामले में जो नियम 18 से लगाकर 22 तक बने हुये हैं, उनकी पालना नहीं की हैं। तमाम खातेदारों को मौके पर बुलाकर भूमि की पेमाईश नहीं की, पेमाईश करने के बाद रिपोर्ट व नक्शा पक्षकारान को पढ़कर नहीं सुनवाया और न ही उनके हस्ताक्षर करवाये। इस कारण नियम 18 से लगाकर 22 पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.07.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 12.08.2016 द्वारा अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 19.09.2016 को प्रस्तुत की गई।
2. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 79/2016 बअनवान गिलुराम वगैरह बनाम पकाराम वगैरह में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2025 द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। चूंकि विभाजन प्रस्ताव व अंतिम डिक्री प्राथमिक डिक्री पश्चातवर्ती कार्यवाही होती हैं जो प्राथमिक डिक्री पर आधारित व उससे आच्छादित होती हैं। चूंकि प्राथमिक डिक्री अपास्त की जा चुकी हैं। अतः ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती अंतिम डिक्री प्रभावहीन हो जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही किन्हीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारों को सूचित किये जाने का कोई अंकन है। अतः स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान को सूचित किए बिना पक्षकारान की गैर–मौजूदगी में तथा सक्षम अधिकारी संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित हुए बिना तैयार किया गया है, जो कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अनुपालना का पूर्ण अभाव है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना विभाजन उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो दूषित होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2014 बअनवान पकाराम बनाम लादूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 12.08.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में विधि अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 15.12.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर, देसूरी में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली

Scanned with OKEN Scanner

इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **13.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner